ग्राम पंचायत खनाग, विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू -172026 के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.20 से 31.03.22

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खनाग, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति अंजु देवी	01-04-20 से 31-01-21
2	श्रीमति मोहर दासी	01-02-21 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बालक राम	01-04-20 से 31-07-20
2	श्री प्रताप सिंह	01-08-20 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	05	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर	1.17
2	06 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	29.25
3	06 (ख)	अनुदान से व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	38.03
4	07	गृहकर की देय राशि की वसूली न करना	1.90
5	08	दुकान के किरायेदार से देय किराये की वसूली न करना	0.21
6	09	मोबाइल टॉवर शुल्क वसूली हेतु शेष	1.30
7	10	नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना	2.05
8	11	भुगतान बिलों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.64
9	12	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निर्माण कार्य के प्राक्कलन विवरण माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.58
10	13	फर्म द्वारा रेत, बजरी व पत्थर के प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे	1.30
11	14	मस्टरोल (Muster Roll) में लेबर द्वारा हस्ताक्षर/उपस्थिति दर्ज किए बिना मजदूरी का भुगतान किया जाना।	0.36
12	15	क्रय की गई निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइडस (Voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	0.32
13	16	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.10
14	18	गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान	0.06

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खनाग, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.22 से 08.08.2022 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2020-21	02/21	05/20
2021-22	03/22	03/22

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत खनाग, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2022-179 दिनांक 02.08.22 द्वारा अनुरोध किया गया है |

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत खनाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत :- ग्राम पंचायत खनाग, के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	1327387.75	1034146	2361533.75	1259135	1102398.75
2021-22	1102398.75	2169515	3271913.75	1788144	1483769.75

बैंक समाधान विवरणी :

दिनांक 31.03.22 को सामान्य निधि का अन्तशेष **1483769.75**

दिनांक 31.03.22 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Sr.no.	Account Number	Bank Name	31.03.22
1	20020005711	KCCB anni	388351.00
2	50100433682819	HDFC Anni	226364.00
3	20020005461	KCCB anni	626994.00
4	50064993014	KCCB anni	57500.00
5	0975000105063211	PNB Anni	260630.29
4	Cash in hand		1268.00
		Total	**1561107.29**

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष	**1561107.29**
(ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	**1483769.75**
अन्तर	**77337.54**

रोकड़ बहियों के अन्तशेष की तुलना में बैंक खातों में ₹77337.54 अधिक पाए गए जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक पाई गई राशि ₹77337.54 की प्रविष्टि रोकड़ बही में करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) 14 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत खनाग, के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	2626760	0	10904	2637664	1274343	1363321
2021-22	1363321	0	29977	1393298	0	1393298

बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष		1353641.00
(ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष		1393298.00
अन्तर		**39657.00**

रोकड़ बहियों के अन्तशेष की तुलना में बैंक खातों में ₹ 39657.00 कम पाए गए जिस बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम पाई गई राशि ₹39657.00 को संबन्धित निधि में जमा करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

iii) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत खनाग, के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	0	403862	2423	406285	0	406285
2021-22	406285	812530	0	1218815	0	1218815

बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष		1250146.00
(ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	1218815.00	
जमा :- ब्याज की प्राप्ति परंतु रोकड़ बही में दर्ज न करना	31331.00	1250146.00
अन्तर		**0.00**

(IV) एमजी नरेगा

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग (कॉलम 2+3+4)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 5–6)
2020–21	0	3745236.00	0	3745236.00	3745236.00	0
2021–22	0	3665388.00	0	3665388.00	3665388.00	0

5. रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹1.17 लाख का अन्तर

ग्राम पंचायत खनाग की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹116994.54 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 (i) व (ii) में दिया गया है।

स्व: स्त्रौत	राशि (₹)	अन्तर (₹)
(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष	1561107.29	
(ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	1483769.75	**77337.54**
14 वाँ वित्त आयोग		
(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष	1353641.00	
(ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	1393298.00	**39657.00**
कुल योग		**116994.54**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **(क) अनुदान ₹29.25 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव ग्राम पंचायत खनाग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि **पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.22 तक अनुदान ₹29,24,684.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट (घ)(I) में दिया गया है** जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है। अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान से व्यय ₹38.03 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी व माहवार आय–व्यय विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.4.2020 से 31.3.2022 तक ₹38,02,543.00 अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है **जिसका विवरण परिशिष्ट (घ) (I),(II) में दिया गया है** । अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं तथा भविष्य में भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के साथ–साथ कार्यालय स्तर पर भी अभिलेख/रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाये व प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत खनाग द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 प्रारूप–8 सन्दर्भित नियम–34 की अवहेलना है।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

7 गृह कर की देय राशि ₹1.90 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर आदि अधिरोपित एवं संग्रहण करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार ₹190050 की वसूली हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पत्तिकर/गृहकर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। सम्पत्तिकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर

उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

8 दुकान के किरायेदार से देय किराये ₹0.21 लाख की वसूली न करना

ग्राम पंचायत के दुकान किराये से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि किरायेदार से **परिशिष्ट– (च)** अनुसार किराये की ₹21000 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है लम्बित करों एवम् बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए जिससे ग्रम पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ किया जा सके तथा लम्बित बकाया राशि की शत प्रतिशत वसूली को भी सुनिश्चित किया जा सके।

9 मोबाइल टॉवर शुल्क ₹1.30 लाख वसूली हेतु शेष

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2022 तक मोबाईल टॉवर शुल्क ₹130000 वसूली हेतु शेष था **जिसका विवरण परिशिष्ट (छ) में दिया गया है।** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः डीएच–डीआईटी. डीईवी–(आईटी)2005–(विविध)–96 दिनाँक 21.06.2019 के पैरा 3.4 के नोट vi के प्रावधानानुसार मोबाईल टॉवर स्थापित करने वाली कम्पनी को ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क की माँग जारी करने के एक माह (30 दिनों) के भीतर शुल्क/जारी की गई माँग की अदायगी करनी अपेक्षित है। पंचायत द्वारा माँग पत्र में जमा की जाने वाली राशि का विवरण व 30 दिनों से अधिक विलम्ब करने की अवस्था में 5% प्रति सप्ताह दण्ड शुल्क की अदायगी करने तथा दो माह के पश्चात् भी भुगतान न करने की अवस्था में सात दिनों की अवधि के अंतिम नोटिस के बाद अनुमति रद्द करने सम्बन्धी उल्लेख करना अपेक्षित है। पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है।

अतः वर्णित राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

10 नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.05 लाख का स्टॉक/स्टोर क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसके अनुसार ₹ 1000 से अधिक तथा ₹ 50000 से कम राशि की वस्तु/सामग्री के क्रय के लिए कोटेशन (Quotation) तथा ₹ 50000 से अधिक मूल्य की वस्तु/सामग्री के क्रय हेतु निविदा (Tenders) आमंत्रित करके क्रय किया जाना अपेक्षित है तथा नियम 67 (3) (**a**) के अनुसार ग्प्रम पंचायत द्वारा प्रधान, उप–प्रधान व ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप–समिति का गठन करके समिति द्वारा कुटेशन/निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹205297 के स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 188 दिनाँक 05.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।**

अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क0 सं0	बिल सं0/दिनांक	माह	निधि का नाम	बिल का विवरण	वस्तु का विवरण	राशि
1.	1123/ 01-05-20	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel & Angle	45540
2.	1112/ 29-04-20	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	10180
3.	1113/	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	10170

	29-04-20					
4.	1118/ 30-04-20	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	10170
5.	1119/ 30-04-20	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	10170
6.	1120/ 30-04-20	05-20	मनरेगा	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	10170
7.	1237/ 22-05-20	05-20	सामान्य निधि	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	21960
8.	71/ 07-10-21	03-22	सामान्य निधि	वर्मा एंड कंपनी न्यू बस स्टैंड आनी	Steel	14042
9.	33/ 20-05-20	05-20	14 वां वित आयोग	ACT स्टील फेब्रिकेशन आनी	Angle	35210
10.	10/ 11-05-20	05-20	मनरेगा	हंस राज पेंटर	साइन बोर्ड राइटिंग	7000
11.	09/ 10-05-20	05-20	मनरेगा	हंस राज पेंटर	साइन बोर्ड राइटिंग	7000
12.	11/ 11-05-20	05-20	मनरेगा	हंस राज पेंटर	साइन बोर्ड राइटिंग	7000
13.	285/ 16-11-19	05-20	सामान्य निधि	श्याम सिंह बिष्ट	मिट्टी ढुलान	11500
14.	303/ 25-04-20	05-20	सामान्य निधि	मै० बलिराम यशवंत कुमार आनी	हार्डवेयर सामग्री	5185
					Total	**205297**

11. क्रय सामग्री ₹1.64 लाख बिलों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत खनाग के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर तथा रोकड़ बही की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार क्रय किए गए स्ट्रीट लाइट व अन्य क्रय से सम्बन्धित **₹164055** के बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किए गए जो कि गम्भीर अनियमितता है । रोकड़बही की जांच में पाया गया कि स्ट्रीट लाइट की खरीद हेतु भुगतान तो

कर दिया गया है लेकिन **हिमऊर्जा कुल्लू से प्राप्त बिल को** अंकेक्षण में प्रस्तुत नही **किया गया था** । वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 189 दिनाँक 05.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ** जोकि स्वतः आपत्तिजनक है। अतः उक्त खरीद से सम्बन्धित सभी बिलों को **संबन्धित फ़र्म** से प्राप्त कर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	माह	फ़र्म का नाम	बिल का विवरण	वस्तु का विवरण	राशि (₹)
1	पी-01/ 11-05-20	05-20	14वा वितायोग	Sr. Project officer Himurja Kullu	Street light	158785
2	पी-09/ 01-03-22	03-22	सामान्य निधि	श्री ओम प्रकाश	जलपान	5270
					कुल	**164055**

12. **निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ₹1.58 लाख के निर्माण कार्य के प्राक्कलन विवरण** (work estimate/abstract of cost), **माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत **₹**50,000 से अधिक है को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा **₹**25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित है।

व्यय की जाँच हेतु चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया कि **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा बिना प्राक्कलन/अनुमानित प्राक्कलन, माप पुस्तिका/एम.बी में माप दर्ज न करना, तकनीकी स्वीकृति व निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल/मस्टरोल में कार्य समिति के अनुमोदन/सत्यापन के बिना ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया थाः–

क0सं0	वाउचर सं0/माह	कार्य का विवरण	राशि (₹)	मस्ट्रोल संख्या	एमबी संख्या व पृष्ठ सं0	**अंकेक्षण आपत्ति**
सामान्य निधि						
1.	P/8 11-05-20	मुरम्मत ट्रैक्टर रोड कंडा से खोली	37525	3949	शून्य	प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost) व माप पुस्तिका

						प्रस्तुत न करना
2	P/13 01-03-22	मुरम्मत ट्रैक्टर रोड मैन रोड से जकुना	35400	16470	शून्य	प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना
3	P/14 09-02-22	निर्माण ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील	17052	16472	शून्य	प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना
4	P/15 01-03-22	मुरम्मत ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील	25152	16469	शून्य	प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना
5	P/15 31-03-22	निर्माण सामुदायिक शौचालय खनाग	42900	3996	शून्य	प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना
		कुल योग	158029			

वर्क्स कार्यों की एवज में किये गये भुगतान ₹158029 को वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 193 दिनाँक 06.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत खनाग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ** जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बिना पूर्ण औचारिकताओं के निर्माण/विकास कार्यों को निष्पादित करने के सन्दर्भ में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं/अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. फ़र्म द्वारा रेत, बजरी व पत्थर के ₹1.30 लाख के प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे

ग्राम पंचायत **खनाग** के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से **₹130000** की रेत, बजरी, पत्थर का क्रय किया गया था। जबकि संबन्धित फ़र्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाकर गाड़ियों की संख्या के आधार पर बिल प्रस्तुत किया गया जिसके

अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेशर से कितनी मात्रा में सामग्री लायी गयी तथा कार्य स्थल पर कितनी मात्रा उपलब्ध करवाई गई थी व स्टॉक रजिस्टर में भी गाड़ियों की संख्या के आधार पर प्रविष्टि दर्ज की गई थी। नियमानुसार रेत, बजरी व पत्थर की मात्रा को प्रति फुट , प्रति घन मीटर व प्रति टन में दर्शाना अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या/ दिनाँक	मद का नाम	मात्रा	भुगतान राशि
1.	Sh. Krishan lal Vill. Kanda P.o. Khanag	P-7/ 11-05-20	पत्थर	11 चट्टे	22000
2.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-13/ 24-05-20	रेत	1 टिप्पर	8000
3.	Hari om Sharma Transport operator	P-15/ 24-05-20	रेत	1 टिप्पर	8000
4.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-17/ 24-05-20	रेत	1 टिप्पर	8000
5.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 24-05-20	रेत	1 टिप्पर	8000
6.	Hari om Sharma Transport operator	P-15/ 24-05-20	रेत	1 टिप्पर	8000
7.	Sh. Ugam ram Vill. Lohal	P-25/ 01-03-22	पत्थर	10 चट्टे	20000
8.	Sh. Govind singh Vill.Khanag	P-16/ 01-03-22	पत्थर	10 चट्टे	20000
9.	Sh. Mangal chand Vill.Khanag	P-13/ 31-03-22	बजरी	100 bag	10000
10.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-14/ 31-03-22	रेत	1 टिप्पर	9000
11.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 31-03-22	रेत	1 टिप्पर	9000
Total					**130000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 196 दिनाँक 06.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत खनाग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में आपूर्तिकर्ताओं से बिल पर सामग्री की मात्रा दर्ज होने के पश्चात ही बिल को स्वीकार किया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर के प्रस्तुत बिलों में सामग्री

की मात्रा न दर्शाने के कारणों को स्पष्ट किया जाये व उपरोक्त अनियमित व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **मस्टरोल (Muster Roll) में लेबर द्वारा हस्ताक्षर / उपस्थिति दर्ज किए बिना ₹0.36 लाख की मजदूरी का भुगतान किया जाना।**

ग्राम पंचायत खनाग के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार **ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न मस्टरोल (Muster Roll)** में लेबर की उपस्थिति/ हस्ताक्षर दर्ज किये बिना ही **₹**35882 की मजदूरी का भुगतान किया गया था जोकि हस्ताक्षर न होने के कारण अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है **:-**

क. सं.	निधि	मस्ट्रोल संख्या / दिनांक	अवधि	कार्य का नाम	नाम	कार्य दिवस	भुगतान दर	कुल भुगतान	टिप्पणी
1	सामान्य	3998/ 09-12-21	10-12-21 से 23-12-21	ट्रैक्टर रोड झरौणु से लोहाल	श्री बेली राम	06	300	1800	मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे
2	सामान्य	-Do-	-Do-	-Do-	श्री रमेश चन्द	08	300	2400	-Do-
3	सामान्य	-Do-	-Do-	-Do-	श्री ख्याले राम	08	300	2400	-Do-
4	सामान्य	-Do-	-Do-	-Do-	श्रीमति चवेलु देवी	14	300	4200	-Do-
5	सामान्य	-Do-	-Do-	-Do-	श्री तिलक राम	08	300	2400	-Do-
6	मनरेगा	107/ 27-04-20	29-04-20 से 14-05-20	निर्माण RRWH टैंक जगदीश चन्द लोहाल	श्री टिकम राम	03	185	555	-Do-
7	मनरेगा	8440/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	निर्माण सुरक्षा दीवार बेली राम के घर के आगे	कुमारी नेहा	14	203	2842	-Do-
8	मनरेगा	8447/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना इश्वा देवी खनाग	श्रीमति कौशल्या देवी	04	203	2030	-Do-
9	मनरेगा	8474/ 17-02-22	21-02-22 से	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना नर्वदा कुमारी	श्री तिलक राम	14	203	2842	-Do-

			08-03-22	लोहाल					
10	मनरेगा	-Do-	-Do-	-Do-	श्री राम प्रकाश	14	203	2842	-Do-
11	मनरेगा	8475/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना शशि कुमारी लोहाल	श्री मोती राम	06	203	1218	-Do-
12	मनरेगा	8477/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना देव कला लोहाल	श्री सुरेन्द्र कुमार	14	203	2842	-Do-
13	मनरेगा	-Do-	-Do-	-Do-	श्री सुनील कुमार	08	203	1624	-Do-
14	मनरेगा	8478/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना देव कला लोहाल	श्री लोतम राम	13	203	2639	-Do-
15	मनरेगा	8479/ 17-02-22	21-02-22 से 08-03-22	मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना सरस्वती लोहाल	कुमारी अंजु	02	203	406	-Do-
16	मनरेगा	-Do-	-Do-	-Do-	श्रीमति नारकलु देवी	14	203	2842	-Do-
							कुल	**35882**	

जबकि नियमानुसार मस्ट्रोल पर दर्ज/कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर/उपस्थिति दर्ज़ करना अनिवार्य है तथा उसके पश्चात मजदूरी का भुगतान किया जाएगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 190 दिनाँक 06.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।**

अतः किये गये संदिग्ध भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा **अनुचित अथवा अनियमित रूप से भुगतान की गयी** राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15. क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइडस (Voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.32 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइडस (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5%, बजरी की आपूर्ति पर 10 एमएम से लेकर 20 एमएम तक 5% तथा 20

एमएम से लकर 40 एमएम तक 10% और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से वाइडस (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित थी। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹17751 का अधिक भुगतान किया गया था।

क. सं.	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/ दिनाँक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	मात्रा	मात्रा	वाइड्स (Voids) कटौती की दर	वाइड्स (Voids) की मात्रा जिसका भुगतान किया गया	दर (प्रति क्यूबीक मीटर)	राशि
					(cft)	**(cum)**				
MG NREGA										
1.	Sh. Krishan lal Vill. Kanda P.o. Khanag	P-7/ 11-05-20	पत्थर	22000	0	23.76	12.5%	2.97	1765.736	**5244**
2.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-13/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
3.	Hari om Sharma Transport operator	P-15/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
4.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-17/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
5.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
6.	Hari om Sharma Transport operator	P-15/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
7.	Sh. Ugam ram Vill. Lohal	P-25/ 01-03-22	पत्थर	20000	0	21.6	12.5%	2.7	1765.736	**4768**
8.	Sh. Govind singh Vill.Khanag	P-16/ 01-03-22	पत्थर	20000	0	21.6	12.5%	2.7	1765.736	**4768**
9.	Sh. Mangal chand Vill.Khanag	P-13/ 31-03-22	बजरी	10000	0	04	5%	0.20	1765.736	**353**
10.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-14/ 31-03-22	रेत	9000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
11.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 31-03-22	रेत	9000	150	4.245	5%	0.212	1765.736	**374**
									Total	**₹17751**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-195 दिनाँक 06.08.22 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं से वाइड्स (VOIDS) की कटौती नहीं की गयी थी जिसकी वसूली आपूर्तिकर्ताओं से कर के पंचायत निधि में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः वाइडस (Voids) की कटौती/वसूली न करने का या तो तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(F)/6-5/2006 दिनांक 16. 12.2012 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था व हि0प्र0 सरकार इंडस्ट्री विभाग (जियोलॉजिकल विंग) के पत्र संख्या 5-49/79-Ind-(Glg) Rules, 2015-Vole-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 उद्योग (जियोलॉजिस्ट)रूल्स–2015–खण्ड–IV–1175 के अनुसार उक्त खनन सामग्री के उपयोग पर रॉयल्टी की दर **₹**60 प्रति मिट्रीक टन तथा **₹**5000 प्रति लाख ईटों पर अनुपातिक आधार पर निश्चित की गई है ।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹10184 का अधिक भुगतान किया गया था।

क. सं.	आपूर्तिकर्ता	संख्या / दिनाँक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
General										
1.	Sh. Krishan lal Vill. Kanda P.o. Khanag	P-7/ 11-05-20	पत्थर	22000	0	23.76	1.94	46.094	60	**2766**
2.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-13/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	1.6	06.792	60	**408**
3.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-17/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	1.6	06.792	60	**408**
4.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 24-05-20	रेत	8000	150	4.245	1.6	06.792	60	**408**
5.	Sh. Ugam ram Vill. Lohal	P-25/ 01-03-22	पत्थर	20000	0	21.6	1.94	41.904	60	**2514**
6.	Sh. Govind singh Vill.Khanag	P-16/ 01-03-22	पत्थर	20000	0	21.6	1.94	41.904	60	**2514**
7.	Sh. Mangal chand Vill.Khanag	P-13/ 31-03-22	बजरी	10000	0	4	1.46	5.84	60	**350**
8.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-14/ 31-03-22	रेत	9000	150	4.245	1.6	06.792	60	**408**
9.	Kulvi Transport (goods Carrie) Jaban	P-18/ 31-03-22	रेत	9000	150	4.245	1.6	06.792	60	**408**
									Total	**10184**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 194 दिनाँक 06.08.22 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं से एम फॉर्म /अनापति प्रमाण पत्र लिए गए थे परंतु कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एम फॉर्म /अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिये गए जिसने रॉयल्टी की वसूली कर के संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता / फर्म से या तो "एम" फार्म / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. मस्टरोल (**Muster Roll**) में लेबर को अवैतनिक अवकाश (**unpaidholiday**) की अदायगी करने के कारण ₹0.07 लाख अधिक भुगतान करना।

ग्राम पंचायत खनाग विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र०) की अवधि 1/04/20 से 31/03/22 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मस्ट्रोल में अवैतनिक अवकाश (u/h) दर्शाया गया था परंतु उस दिन की मजदूरी का भुगतान किया गया था । जबकि नियमानुसार अवैतनिक अवकाश के दिन मजदूरी का भुगतान अनुचित प्रतीत होता है । ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अवकाश वाले दिन का भुगतान करने के कारण ₹7500 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है।

क. सं.	नाम	कार्य दिवस	अवैतनिक अवकाश	भुगतान दर	अधिक भुगतान
1. सामान्य रोकड़ बही , मस्ट्रोल संख्या 16470 अवधि 10-02-22 से 28-02-22 वाउचर संख्या- P/13 दिनांक 01-03-22 कार्य का नाम (R/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से जकुना)					
1	श्री दसमी राम	10	1	300	300
2	श्री दीवान चन्द	11	1	300	300
3	श्री ओम प्रकाश	11	1	300	300
4	श्री जागीर सिंह	8	1	300	300
5	श्री सतीश कुमार	10	1	300	300
6	श्री नारायण चन्द	10	1	300	300
7	श्री जोगिंदर	10	1	300	300
8	श्री भूपेन्दर	10	1	300	300
9	श्री मस्त राम	11	1	300	300
10	श्री ज्ञान चन्द	8	1	300	300
11	विक्रम	8	1	300	300
12	हीरा देवी	11	1	300	300
कुल			**12**	**300**	**3600**
2. सामान्य रोकड़ बही, मस्ट्रोल संख्या 16472 जारी करने की तिथि 09-02-22 अवधि 10-02-22 से 28-02-22 वाउचर संख्या- P/14 दिनांक 01-03-22 कार्य का नाम (C/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील)					
1	श्री रोशन	11	1	300	300
2	श्रीमति रमा देवी	11	1	300	300

3	श्रीमति यशोधा	11	1	300	300
4	श्री सुरजीत कुमार	11	1	300	300
5	श्रीमति रंजना देवी	11	1	300	300
कुल			**5**	**300**	**1500**

3.सामान्य रोकड़ बही, मस्ट्रोल संख्या 16469 जारी करने की तिथि 09-02-22 अवधि 10-02-22 से 21-02-22 वाउचर संख्या- P/15 दिनांक 01-03-22 कार्य का नाम (C/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील)					
1	श्री निशांत	**12**	1	300	300
2	श्रीमति सालमु देवी	**12**	1	300	300
3	श्री बुध राम	**11**	1	300	300
4	श्री मति उर्मिला	**08**	1	300	300
5	श्रीमति संगीता राणा	**12**	1	300	300
6	श्रीमति सुनीता	**08**	1	300	300
7	श्रीमति योगिता	**12**	1	300	300
8	श्री शिव कुमार	**07**	1	300	300
					2400
कुल योग 1+2+3					**7500**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 192 दिनाँक 06.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई** प्रत्युत्तर **प्राप्त नहीं** हुआ जोकि स्वतः आपत्तिजनक है। अतः किये गये अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान **की गयी** राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से **आगामी** अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 गणना में त्रुटि के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत खनाग विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र०) की अवधि 1/04/20 से 31/03/22 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार **गणना में त्रुटि के कारण ₹5904** का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

क्र. स.	मस्ट्रोल/बिल संख्या / जारी करने की तिथि	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कुल दिन	भुगतान दर	वास्तविक भुगतान	मस्ट्रोल के अनुसार भुगतान/बिल	अधिक भुगतान
1	16469 09-02-22	C/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील	श्री बुध राम	11	300	3300	3852	552
2	16472 09-02-22	C/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से टील	श्री रोशन	11	300	3300	3852	552
3	051/ 23-03-22(एक्सकवटोर मशीन का प्रयोग)	R/o ट्रैक्टर रोड मैन रोड से जकुना	शमशरी महादेव कन्स्ट्रकशन प्राइवेट लिमिटेड	12 घंटे	1200	14400	19200	4800
							कुल	5904

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 191 दिनाँक 06.08.22 द्वारा वर्णित अनियमितता को सचिव, ग्राम पंचायत **खनाग** के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था **जिसका अंकेक्षण समाप्ति** तक कोई प्रत्युत्तर **प्राप्त** नहीं हुआ जोकि स्वतः आपत्तिजनक है । अतः अधिक भुगतान **की गयी** राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.04 लाख की वसूली न करना

आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। सचिव ग्राम पंचायत खनाग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म /व्यक्ति का नाम	भुगतान की गई राशि	स्त्रोत पर देय आयकर की राशि	टिप्पणी
1	2020-21	श्री रफ्तार सिंह ठाकुर (सरकारी ठेकेदार)	36300	272(0.75%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
2	2021-22	श्री चमन ठाकुर (सरकारी ठेकेदार) गाँव घिरज डाकघर डिघेड	49200	492 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
3	2021-22	श्री वेद प्रकाश ठाकुर , गाँव जैरी डाकघर कराणा	37200	372 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
4	2021-22	श्री वेद प्रकाश ठाकुर , गाँव	37200	372 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन

		जैरी डाकघर कराणा			का प्रयोग
5	2021-22	श्री किशोरी लाल बल्ह , मंडी	32400	324 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
6	2021-22	श्री किशोरी लाल बल्ह , मंडी	43200	432 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
7	2021-22	श्री चमन ठाकुर (सरकारी ठेकेदार) गाँव घिरज डाकघर डिघेड	49450	495 (1 %)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
8	2021-22	श्री चमन ठाकुर (सरकारी ठेकेदार) गाँव घिरज डाकघर डिघेड	49450	495 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
9	2021-22	श्री वेद प्रकाश ठाकुर , गाँव जैरी डाकघर कराणा	31200	312 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
10	2021-22	श्री वेद प्रकाश ठाकुर , गाँव जैरी डाकघर कराणा	31200	312 (1%)	एक्सकवेटोर (JCB) मशीन का प्रयोग
कुल योग			**396800**	**3878**	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-186 दिनाँक 04.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खनाग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान ठेकेदारों से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी जिसकी वसूली संबन्धित ठेकेदारों से कर के संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: स्त्रोत पर कर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो व व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹0.03 लाख की कम वसूली करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है। ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.20 से 31.03. 2022 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹3000 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

Sr.No.	Register sr.no	Name of applicant	Date of Marriage	Date of registration	Due Amount	Amount Collected	Difference
01	11	Sh. Roop lal	18.09.20	20.11.20	400	0	400
02	01	Sh. Kesh Kumar	02.11.20	25.03.21	400	200	200
03	02	Sh. Anurag verma	08.12.20	25.03.21	400	200	200
04	03	Sh. Govind singh	10.12.20	25.03.21	400	200	200
05	05	Sh.Ghanshyam	05.02.21	01.04.21	400	200	200
06	07	Sh. Rajender Thakur	05.11.20	05.05.21	400	200	200
07	08	Sh. Sanjay Kumar	28.04.21	09.06.21	400	200	200
08	09	Sh. Anu	05.05.21	27.07.21	400	200	200
09	11	Sh. Lotam Ram	01.06.21	09.09.21	400	200	200
10	12	Sh. Ved Prakash	10.08.21	09.10.21	400	200	200
11	13	Sh. Mukesh Kumar	14.10.21	05.12.21	400	200	200
12	15	Sh. Kushal Singh	14.12.21	18.01.22	400	200	200
13	16	Sh. Mela Ram	05.12.21	18.01.22	400	200	200
14	18	Sh. Hans Raj	20.07.21	24.03.22	400	200	200
						कुल	**3000**

सचिव ग्राम पंचायत **खनाग** को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD-2022-181 दिनाँक 03-08-22 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था **जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि कुछ आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क कम लिया गया था जिसकी वसूली संबन्धित आवेदनकर्ता से शीघ्र कर दी जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जाएगा।**

अत : राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए **पंचायत निधि** में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

21 सावधि जमा में निवेश न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 व हि0प्र0 सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनांक 29.4.2020 तथा फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनांक 3.3.2021 द्वारा पीएसयूज (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)/बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी इत्यादि

को अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को सावधि जमा में निवेश बारे निर्दिष्ट किया गया है अंकेक्षण को प्रस्तुत यथा **(परिशिष्ट "ज")** अनुसार ग्राम पंचायत के निधि खातों में दिनाँक 31.03. 2022 को ₹388351 की बहुत बडी राशि अनुपयुक्त थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी जोकि ग्राम पंचायत के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देशों की अवहेलना है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के दृष्टिगत सावधि जमा में राशि को निवेशित व परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

22 क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां अनुचित रूप से करना :–

ग्राम पंचायत **खनाग द्वारा** क्रय वस्तुओं **व निर्माण कार्यों से संबन्धित सामग्री** को स्टॉक रजिस्टर में अलग–अलग खाते तैयार करके दर्ज नहीं किया गया, बल्कि एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियां की गई है, जोकि इस सन्दर्भ में विहित प्रक्रियानुसार अनुचित है। अतः प्रत्येक मद का पृथक–पृथक खाता पृथक–पृथक पन्नों पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा शेष थी/है।

23 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार पारित नहीं करवाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

24 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0 सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	———————	31
13	बिल रजिस्टर	13	48
14	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
15	रॉयलटी / जीएसटी / टीडीएस / सेवाकर रजिस्टर	———————	31

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख—रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान भण्डार / वस्तु / सामग्री का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन एक बार भी नहीं किया गया था जिससे भण्डार / सामग्री / वस्तुओं के दुर्विनियोजन को भी नकारा नहीं जा सकता।

अतः अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान भण्डार / वस्तु / सामग्री का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन एक बार भी नहीं किये जाने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के साथ—साथ भविष्य में नियमानुसार भण्डार / वस्तु / सामग्री का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि स्टॉक / स्टोर में किसी प्रकार की दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

26 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

27 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत के लेखों के रख—रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के आधार पर सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (3)68/22 खण्ड—1—7231—7234 दिनांक 19.11.22 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत खनाग, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009